भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3544

उत्तर देने की तारीख: 15.07.2019

बिहार में केन्द्रीय विद्यालयों में अवसंरचना

3544. श्री महाबली सिंह

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार में ऐसे कितने केंद्रीय विद्यालय हैं जिनके पास स्वयं का भवन नहीं है जिसके परिणाम स्वरूप इन विद्यालयों में अपेक्षित शैक्षणिक अवसंरचना उपलब्ध नहीं है;

(ख) क्या समुचित भवन के अभाव में ऐसे विद्यालयों में उच्चतर कक्षाओं का शिक्षण संभव नहीं है क्योंकि अपेक्षित प्रयोगशालाओं आदि को स्थापित करने हेतु आवश्यक स्थान उपलब्ध नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त विद्यालयों में भवनों आदि के निर्माण संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत कोई समय-सीमा तय की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी विद्यालय-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्री

(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) : आज की तारीख तक, बिहार राज्य में 17 केंद्रीय विद्यालय (केवि) अपने स्वयं के भवनों के बिना कार्य कर रहे हैं। इन 17 केंद्रीय विद्यालयों का ब्यौरा निम्नवत है:-

i.	भवन निमार्णाधीन	बेला, हरनौत एवं झाझा
ii.	प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा अभी भूमि अंतरित की जानी है।	लखीसराय, बक्सर, मोतीहारी, सिवान, बांका, छपरा, एएफएस पूर्णिया, सीआरपीएफ झाफन, गोपालगंज, हाजीपुर, दरभंगा, बरौनी, औरंगाबाद और महाराजगंज

(ख): केन्द्रीय विद्यालय संगठन के मानकों के अनुसार, स्थायी भवनों की कमी के कारण शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है।

(ग) और (घ) : केन्द्रीय विद्यालयों हेतु स्थायी भवनों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, जो उचित भूमि की पहचान, प्रायोजित प्राधिकारियों द्वारा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में

लीज औपचारिकताओं के पूरा होने, निर्माण एजेंसी द्वारा नक्शा/अनुमान प्रस्तुत करने, निधि की उपलब्धता और अपेक्षित अनुमोदन आदि पर निर्भर करती है। इसलिए, इस संबंध में कोई निर्धारित समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

*****